न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ. इन्द्रजीत यादव (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
12/2022	2022/31	03.06.2022	14.12.2022

1. श्री मांगीलाल पिता शंकर जी जाति नायक उम्र व्यस्क निवासी बरकटी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.) :– अपीलार्थी

–: बनाम :–

1. श्री अवन्तिलाल पिता रामनारायण जी जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी जलोदिया केलुखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी :– रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 607 प्रविष्ठी फैसल दिनांक 02.08.2021 द्वारा तहसीलदार छोटीसादड़ी के संबंध में।

उपस्थिति :–
1. श्री रोहिताश्व पंचौली (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. श्री कमलेश सुथार (अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण)

–: आदेश :– दिनांक :– 14.12.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 607 प्रविष्ठी फैसल दिनांक 02.08.2021 द्वारा तहसीलदार छोटीसादड़ी के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बरकटी पटवार हल्का स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी में स्थिति आराजी संख्या 318, 403, 473 कुल किता 3 रकबा 0.62 हैक्टर भूमि में अपीलार्थी का 5/6 हक हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज था।

उक्त भूमियों में से अपीलार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.06.2021 के द्वारा आराजी संख्या 318 रकबा 0.21 हैक्टर में से उसका 5/6 हक हिस्सा रेस्पोडेन्टगण को बेचान किया गया था जिससे उक्त भूमि रकबा क्षेत्र में अपीलार्थी का कोई हक हिस्सा नही बचा है किन्तु दौराने नामान्तरकरण कार्यवाही पंजीयन दस्तावेज के विपरीत अपीलार्थी की अन्य संयुक्त खातेदारी भूमि आराजी संख्या 413 एवं 473 में दर्ज 5/6 हक हिस्सा भी जरिये विवादित नामान्तरकरण संख्या 607 दिनांक 02.08.2021 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के नाम दर्ज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी द्वारा अविक्रित भूमियों का अन्तरण भी रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के नाम दर्ज हो अपीलार्थी का नाम विलोपित हो गया।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

442

अतः अपील अपीलार्थी सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रित भूमि रकबा तक का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या -1 के नाम दर्ज रखते हुए अन्य भूमियों में अपीलार्थी के 5/6 हक हिस्से की बहाली हेतु विवादित नामान्तरकरण संख्या 607 दिनांक 02.08.2021 को निरस्त पुन : विक्रय पंजीयन विलेख के आधार पर संशोधित नामान्तरकरण हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या-1 कि ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश सुथार द्वा वकालत नामा मय जवाब अपील मेमों प्रस्तुत करते हुए विवादित नामान्तरकरण को निरस्त कर संशोधित नामान्तरकरण निष्पादित करने आशय का जवाब पत्रावली में प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली दिनांक 14.12.2022 को पेश हुई वकुलाय पक्षकार उपस्थित बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस वकुलाय पक्ष द्वारा विवादित नामान्तरकरण के माध्यम से हुई अन्तिरिती को अनुचित बताते हुए विवादित नामान्तरकरण को निरस्त कर संशोधित नामान्तरकरण आदेश हेतु प्रकरण मेरिट आधार पर निर्णित करने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त विवेचन की रोशनी एवं बहस उभय पक्ष तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.06.2021 के क्रम में निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 607 दिनांक 02.08.2021 से अपीलार्थी के अविक्रित रकबा क्षेत्र भूमि के संबंध में हुए लिपिकीय त्रुटिवश नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने में रेस्पोडेन्ट संख्या -1 द्वारा जरिये जवाब दिनांक 09.12.2022 के अनुसार मियाद कण्डोल फरमाते हुए विवादित नामान्तरकरण को निरस्त कर संशोधित नामान्तरकरण की सहमती प्रदान की गई है। अतः प्रकरण मेरिट आधार पर अच्छा होने से मियाद बिन्दु पर कण्डोल की जाकर विवादित नामान्तरकरण को निरस्त करना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है विवादित नामान्तरकरण संख्या 607 दिनांक 02.08.2021 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार छोटीसादडी को निर्देश प्रदान किये जाते है कि प्रकरण में वर्णित विक्रय विलेख दिनांक 16.06.2021 के अनुसार असरसरेनों कार्यवाही अमल में लाई जाकर यथा संशोधित नामान्तरकरण निष्पादित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

जिला कलक्टर प्रतापगढ़

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ